

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल गुप्ता, आई.ए.एस

अपील संख्या: 68/2017 एल.आर.एक्ट

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक (तक) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सी-38, सार्दुलगंज, बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बिदामकंवर पत्नी खेतगर जाति स्वामी निवासी नोखड़ा तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत ।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, बीकानेर ।
4. सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर ।

.....रेस्पोंडेंट्स

- उपस्थित: 1- श्री रामावतार बुरी, अभिभाषक अपीलान्ट ।  
2- श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं01  
3- श्री राजाराम सोनी, रेस्पोंडेंट 3 की ओर से ।  
3-श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय


दिनांक 18.12.17

1. यह द्वितीय अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील सं0 11/2017 अनवान बिदामकंवर बनाम स्टेट में पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.4.17 जिसके द्वारा प्रथम अपील स्वीकार कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत इन्तकाल सं0 498 दिनांक 16.1.09 अपीलान्ट्स की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नं0 421/294/1 की 12 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टा के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट सं01 श्रीमती बिदामकंवर पत्नी खेतगर जाति स्वामी निवासी नोखड़ा के नाम ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 421/294/1 में सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आवंटन आदेश द्वारा 40 बीघा वारानी भूमि टी.सी. पुख्ता आवंटित हुई, जिसका इन्तकाल सं0 446 दिनांक 20.11.07 स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया । विवादित भूमि उक्त आवंटन से पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज दर्ज थी, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित हो रहा था। राजस्थान सरकार के राजस्व (गुप-6)विभाग, जयपुर के परिपत्र सं0 प.6(3)राज/6/86/3 दिनांक दिनांक 5-2-96 के पैरा सं0 3 में लिये गये निर्णयानुसार सा.नि.वि. द्वारा संधारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि. विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा । राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र की पालना हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर के पत्रांक 2165-2175 दिनांक 7-4-2006 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 15 (बीकानेर से जैसलमेर) कि.मी. 0/0 से 90/0 की भूमि का नामान्तरण भारत सरकार के नाम

3  
संभागीय आयुक्त


दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत से प्राप्त सर्वे खसरा अनुमोदन अनुसार पटवारी हल्का के नाम पत्रांक ओके/08/4229 दिनांक 19.11.08 जारी कर मुताबिक सर्वे खसरा रिकॉर्ड में अंकन कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देश प्रदान किया गया तथा उक्त निर्देशों की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करने पर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा ग्राम नोखड़ा के खसरा सं0 421/294 की 12 बीघा भूमि का पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत कर दिया गया । उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत सं01 द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16-1-09 के विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट सं01 बिदामकंवर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रथम अपील सं0 11/17 प्रस्तुत की गयी, जो निर्णय दिनांक 27.4.17 द्वारा बिदामकंवर की अपील स्वीकार कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवम् ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति इन्तकाल सं. 498 दिनांक 16.1.09 अपीलान्त की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नं0 421/294/1 तादादी 12 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ता बिदामकंवर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. दिनांक 12-7-17 को यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेंट की तलवी की गयी एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया । अपील में उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है ।
4. अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में बताया रेस्पॉन्डेंट सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 के आदेश दिनांक 19.11.08 व राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 को अपास्त कराने हेतु दो आदेशों की एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1983 पृष्ठ 811 अवलोकनीय बताया । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉन्डेंट सं01 बिदामकंवर द्वारा धारा 75 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498/16.1.09 के विरुद्ध प्रथम अपील 8 वर्ष बाद पेश की गयी है । रेस्पॉन्डेंट ने प्रथम अपील में प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अपीलाधीन आदेश की पटवारी हल्का से जानकारी तब हुई, जब उसके द्वारा दिनांक 8-9-16 को कब्जा छोड़ने हेतु कहा गया । रेस्पॉन्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है, जिससे कथन सत्य साबित हो सके, जैसा कि आरआरडी 1990 पेज 545(ए) में अभिनिर्धारित किया गया है । इसके अलावा विलम्ब के लिए जानकारी दिनांक 8.9.16 से प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र दिनांक 6.4.17 प्रस्तुत करने पर प्रति रेस्पॉन्डेंट को दिलाई जाकर तारीख पेशी 13.4.17 निर्धारित की गयी । दिनांक 13.4.17 को रेस्पॉन्डेंट की ओर जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत किया गया । किन्तु उक्त प्रकरण में प्रथमतः मियाद बिन्दु तय किये बिना लिखित बहस लेकर दिनांक दिनांक 27.4.17 को अपील का गुणावगुण पर अन्तिम निस्तारण कर दिया, जबकि सर्वप्रथम धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक था । उपखण्ड न्यायालय कोलायत ने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 निरस्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है । अभिभाषक अपीलान्त ने मियाद बिन्दु पर नजीर आरआरडी 1990 पेज 545 एवं आरआरडी 2013 पेज 788 अवलोकनीय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य थी ।
5. अभिभाषक अपीलान्त ने आगे बताया कि अपीलान्त ने सिर्फ नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश की है, भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं

  
सहायक आयुक्त  
कोलायत

की गयी है । जबकि आरआरडी 1987 पेज 97 एवं पेज 106 के अनुसार नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते हैं । भूमि का मालिक राज्य सरकार होने से भूमि जब चाहे अवाप्त की जा सकती है । काश्तकार को अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में केवल मात्र कम्पनसेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है । अतः रेस्पॉन्डेंट सं01 की कृषि भूमि यदि अवाप्ति नामान्तरकरण सं0 498 से प्रभावित होती है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष मुआवजा की मांग कर सकती है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉन्डेंट ने जो रुलिंग आरआरडी 2007 पेज 264, आरआरडी 1995 पेज 576 पेश की गयी है, वह इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है । यह कि रेस्पॉन्डेंट सं01 बिदामकंदर को ग्राम नोखड़ा के खसरा नं. 421/294/1 तादादी 40 बीघा भूमि दिनांक 20-11-07 को टी.सी. से पुख्ता आवंटित होकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया, नामान्तरकरण सं0 498 में खसरा नं0 421/294 की भूमि को आराजी राज बताया गया है, जिसमें से खसरा नं0 421/494/1 की विवादित 12 बीघा भूमि वर्ष 1972 से पूर्व ही राष्ट्रीय राजमार्ग को हस्तान्तरित हो चुकी है, जबकि बिदामकंदर को सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत द्वारा वर्ष 2007 में आवंटन किया गया है । इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि को आराजी राज मानकर रेस्पॉन्डेंट बिदामकंदर को गलत रूप से आवंटित की गयी है, जबकि मौके पर सड़क चालू थी । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है । इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी है । संरक्षित वन भूमि वन विभाग की भूमि होती है, उस भूमि को रेस्पॉन्डेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है ।

6. अभिभाषक अपीलान्त ने आगे बताया कि अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील 15 दिवस की देरी से प्रस्तुत हुई है, क्योंकि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, जिस पर राजस्व अभियान शुरु होने से नकल नहीं मिल सकी । पूर्व प्रार्थना पत्र नहीं मिलने पर दुबारा दिनांक 27.6.17 को नकल प्रार्थना पत्र पेश करने पर दिनांक 29.6.17 को नकल प्राप्त हुई । अपील पेश करने में जानबूझ कर देरी नहीं की गयी है अतः द्वितीय अपील मियाद में शुमार कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने हेतु निवेदन किया ।
7. प्रकरण में अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट 1 की ओर से लिखित बहस में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पॉन्डेंट द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा प्रदान कर अपील गुणावगुण पर निर्णीत की गयी है, जो नियमानुसार है । मियाद बिन्दु के सम्बन्ध में रेस्पॉन्डेंट की ओर से नजीर आर.एल.डब्ल्यू 2014 (1)पेज-1, आरआरडी 2006 पेज 397 अवलोकनीय बताते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात, अपील को मियाद में शुमार किया गया है । अतः प्रस्तुत रुलिंग के अनुसार विलम्ब के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की फाइण्डिंग को यथावत रखा जावे ।
8. अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट ने आगे अपनी बहस में बताया कि रेस्पॉन्डेंट सं01 की भूमि राज्य सरकार के परिपत्र सं0प.6(3)राज-6/86/3 जयपुर दिनांक 5.2.1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेख में राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि.विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा । परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण/नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय द्वारा कोई निजी भूमि अवाप्त की जाती है अथवा राजकीय भूमि आवंटित करायी जाती है तो उसके लिए नियमानुसार कीमत वसूल की जायेगी । इस परिपत्र के लिए वित्त विभाग की सहमति आइ.डी. क्रमांक 730 दिनांक 17.10.95 से प्राप्त कर ली गयी है और यह आदेश सा.नि. विभाग से भी पुष्ट है । उपरोक्त परिपत्र

  
मयागीब आयुक्त  
लोकान

की विवेचना किये बिना ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 421/294/1 की 12 बीघा भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16-1-09 द्वारा दर्ज की गयी है, जबकि परिपत्र की पालना में मुतनाजा अवाप्त की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि वितरित कर ही भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरित की जा सकती थी । प्रकरण में बिना अवाप्ति प्रक्रिया अपनाये रेस्पोंडेंट की भूमि सीधे ही अपीलान्ट के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दी गयी, जो नियमानुसार गलत है । जहां तक क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न है, जब आराजी मुतनाजा भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्त किये जाने का कोई आदेश अथवा परिपत्र अथवा राजपत्र अथवा नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया तो प्रकरण सिविल न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.1 द्वारा अपने आदेश से नामान्तरकरण 498 दिनांक 16.1.09 सीधे ही राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार के नाम दर्ज किया गया था । उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध नियमानुसार एल.आर.एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है । नामान्तरकरण अपने आप में आदेश नहीं है, अतः रेस्पोंडेंट-1 द्वारा आदेश की पालना में किये गये नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी । उपखण्ड अधिकारी कोलायत को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.12.15 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 1,2,3 में सम्मिलित राजस्व तहसील कोलायत के क्षेत्र सहित कलेक्टर की समस्त कृत्यों का पालन करने एवं शक्तियां प्रदत्त है । ग्राम नोखड़ा उपनिवेशन तहसील कोलायत में था, जो डिनोटिफिकेशन के बाद राजस्व तहसील कोलायत में आया है । उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा प्रथम अपील में सही एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया, अतः द्वितीय अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।


9. द्वितीय अपील में रेस्पोंडेंट सं06 की ओर जवाब में बताया कि बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच-15 वर्ष 1972 से चल रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज दर्ज थी । पूर्व में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गयी । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.09.15 से सड़क का हस्तान्तरण सम्भाल लिया गया है, इसके पश्चात उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है ।
10. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि राजस्व अभिलेख में राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अंकन नहीं होने से राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम स्वीकृत किया गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी है । वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी भूमि को रेस्पोंडेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है । रेस्पोंडेंट की कोई कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के नाम इन्तकाल सं. 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत होने के पश्चात और यदि कोई भूमि केन्द्र सरकार द्वारा अवाप्त की जाकर गजट में प्रकाशन होता है तो उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर मुआवजे के जरिये रिलीफ प्राप्त की जा सकती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।
11. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील 15 दिवस देरी से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए अभिभाषक रेस्पोंडेंट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए 15 दिवस विलम्ब को कण्डोन कर न्यायहित में द्वितीय अपील को मियाद में शुमार किया जाता है ।
12. उक्त प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 5.2.96 की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा पोत परिवहन-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

भारत सरकार के नाम स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं० 498 दिनांक 16.1.09 के विरुद्ध रेस्पोंडेंट बिदाम कंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8 वर्ष पश्चात दिनांक 3.2.17 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है । जिसमें स्वयं अपीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 को पटवारी हल्का से होनी बताई गयी है । प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड की ओर से जरिये अभिभाषक दिनांक 6.4.17 धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का जवाब मय काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त अपील में प्रथमतः मियाद बिन्दु तय किये बिना इकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 27.4.17 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि उक्त अपील 8 वर्ष मियाद बाहर थी और अपीलान्ट द्वारा धारा-5 मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 से भी प्रथम अपील 117 दिवस मियाद बाहर थी, जिसका कोई पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण अभिभाषक रेस्पोंडेंट द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के लिए प्रतिदिन का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है । विलम्ब के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय प्रकरण के गुणावगुण को नहीं देखा जाना चाहिये तथा विलम्ब अपशमन के लिए पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण पेश नहीं किये गये हैं तो अपील विलम्ब के आधार पर खारिज करदी जानी चाहिये । इस प्रकार प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर संधारण योग्य नहीं थी ।

13. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.17 पारित करने में मुख्य आधार यह लिया गया है कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 द्वारा बिना भूमि अवाप्ति के ही अपीलान्ट की विवादित भूमि सड़क एवं पोत परिवहन विभाग भारत सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.11.08 जारी कर पालना में इन्तकाल सं० 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है, जो नियमों के विपरीत है ।
14. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय में लिया गया उक्त आधार स्वीकार योग्य नहीं है । क्योंकि राष्ट्रीय राज मार्ग बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व ग्रेवल सड़क थी तथा सड़क के पास वन विभाग की संरक्षित भूमि है । राजस्थान सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5.8.78 के द्वारा राजमार्ग के दोनों ओर स्थित वृक्षों को संरक्षित वन क्षेत्र माना गया है । वन विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करवाई गयी है । प्रकरण में रेस्पोंडेंट की विवादित भूमि वर्ष 1972 से पूर्व ही ग्रेवल सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग व राजमार्ग के पास संरक्षित वन क्षेत्र में हस्तान्तरित हो चुकी है, किन्तु पूर्व में हस्तान्तरित हुई भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग जयपुर के परिपत्र संख्या प.6 (3)राज/6/86/3 दिनांक 5.2.96 के पैरा सं०3 में लिये गये निर्णय पालना में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । रेस्पोंडेंट बिदामकंवर खातेदार काश्तकार नहीं होकर टी.सी. से पुख्ता आवंटी है । टी.सी आवंटन एक वर्ष के लिए होता है तथा लगातार कब्जा काश्त होने पर उसी भूमि का टी.सी से पुख्ता आवंटन किया जा सकता है । रेस्पोंडेंट सं०1 बिदामकंवर को ग्राम नोखड़ा के खसरा नं. 421/294/1 तादादी 40 बीघा भूमि दिनांक 20-11-07 को आवंटित होकर नामान्तरकरण दर्ज किया गया, जबकि उक्त राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 15 वर्ष 1972 से कायम था तथा खसरा सं० 421/294/1 की विवादित 12बीघा भूमि में लगातार कब्जा काश्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि उक्त 12 बीघा रकबा राज की भूमि पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग में हस्तान्तरित हो चुकी थी । इसलिए सहायक उपनिवेशन आयुक्त, कोलायत द्वारा दिनांक 20.11.07 को राष्ट्रीय राजमार्ग को पूर्व में हस्तान्तरित 12 बीघा भूमि को आराजी राज मानकर रेस्पोंडेंट बिदामकंवर को गलत रूप से आवंटित की गयी है, जबकि मौके पर सड़क चालू थी । प्रकरण में राज्य सरकार के अदेशानुसार

उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 421/294 की तादादी 12 बीघा विवादित भूमि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से दर्ज कर नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है । राज्य की ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण व नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और कोई निजी भूमि अवाप्त कर यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन कर केन्द्रीय सरकार में निहित की जाती है तो वह नियमानुसार मुआवजा पाने के लिए सक्षम अधिकारी के यहां चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है ।

15. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड न्यायालय कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.4.17 को अपास्त किया जाता है तथा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं पालना में ग्राम नोखड़ा के खसरा नं0 421/294 की तादादी 12 बीघा भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 498 दिनांक 16.1.09 यथावत रखा जाता है ।
16. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(अनिल गुप्ता) 18/12/17  
सम्भागीय आयुक्त  
बीकानेर